दूरभाष:/Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूंसी, प्रयागराज – 221506
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Prayagraj
ई–मेल: roallahabad@uppcb.com

संदर्भ सं० 601963 / N- 154 / 2019 दिनांक 19/10/2019

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal
Principal Bench,
New Delhi
E-Mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com,

Subject:- Compliance of direction issued by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 684/2019 S. K. Singh Versus State of U.P. in order dated 16-09-2019.

Sir,

With reference to the above subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of order issued on 16-09-2019 by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 684/2019 S. K. Singh Versus State of U.P. The compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Encl. As above.

Your Sincerely

(J. B Singh)
Regional Officer

Copy to:-

1. District Magistrate, Fatehpur for information.
2. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
3. Sri Pradeep Misra, Advocate Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
5. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.

Regional Officer

Scanned by CamScanner

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0सं0 684/2019 एस0के0 सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनॉक 16.09.19 के अनुपालन में मेसर्स पहलवान ब्रिक फील्ड अजमतपुर बिन्दकी, फतेहपुर की संयुक्त निरीक्षण आख्या:—

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0सं0 684/2019 में दिनॉक 16.09.2019 को सुनवाई के उपरांत पारित आदेश यह है कि :—

"Let the District Magistrate, Fatehpur and Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this Tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by e-mail at judicial-ngt@gov.in. the UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance."

उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर के पत्रांक 703/30—खनिज (2019—20) दिनॉक 23.09.2019 के साथ मा0 न्यायालय के आदेश को सलंग्न कर आवश्यक कार्यावाही करते हुए अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये। मा0 अधिकरण के आदेश एवं उपरोक्त पत्र के अनुपालन में प्रश्नगत ईट भट्ठा, मेसर्स पहलवान ब्रिक फील्ड ग्राम अजमतपुर तहसील बिन्दकी जनपद—फतेहपुर का संयुक्त रूप से निरीक्षण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्रयागराज, जनपद—फतेहपुर के राजस्व की टीम व खनन विभाग फतेहपुर द्वारा दिनांक 11.10.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री सन्दीप यादव पुत्र श्री सन्तोष यादव उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है:—

स्थलीय स्थिति —

1. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा आफ सीजन होने के कारण संचालित नहीं पाया गया।
2. ईट भट्ठा की उत्पादन क्षमता 15000 ईट/दिन है एवं पाये की सं0 19 है। ईट भट्ठे में ईधन के रूप में कोयल का प्रयोग 2.0 टन/दिन की दर से किया जाता है।
3. ईट भट्ठे से जनित गैसीय उत्सर्जकों के नियंत्रण हेतु भूतल से लगभग 30 मी0 उंची पक्की चिमनी की स्थापना की गयी है।
4. ईट भट्ठा स्थल के चारों दिशाओं में आबादी, स्कूल, धार्मिक/सार्वजनिक इमारत अन्य भट्ठा एवं बाग—बगीचे की स्थिति निम्नवत् है:— ईट भट्ठा चिमनी से पूरब दक्षिण दिशा में लगभग 400 मीटर की दूरी पर ग्राम अजमतपुर की आबादी एवं राजकीय हाईस्कूल अजमतपुर विद्यालय स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हिन्तापुर की आबादी, उत्तर दिशा में लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम संराय की आबादी तथा दक्षिण दिशा में लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम कीर्तिखेडा की आबादी स्थित है। ईट भट्ठे की चिमनी से उत्तर दिशा में लगभग 1.3 किलोमीटर की दूरी पर एक अन्य ईट भट्ठा तथा दक्षिण दिशा में लगभग 600 मीटर की दूरी पर एक अन्य ईट भट्ठा स्थित है। ईट भट्ठे की चिमनी से पूरब एवं पश्चिम दिशा में लगभग 1.5 किलोमीटर तथा उत्तर एवं दक्षिण दिशा में लगभग 300 मीटर की दूरी तक कोई फलदार आम का 2.5 एकड का एकल अथवा सयुक्त बाग दृष्टिगत नही हुआ।

E/Steno/R.O./without bad

AEE

Scanned by CamScanner

5. ईट भट्टे की स्थापना वर्ष 2011 में की गई है जो उत्तर प्रदेश ईट् भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 27 जून 2012 से पूर्व है अतः उपरोक्त ईट भट्ठे पर जिला पंचायत की उपविधियां लागू होगी बिन्दु संख्या 4 में उल्लिखित दूरियो के अनुसार ईट भट्ठे का स्थल जिला पंचायत की उपविधियो के अनुसार है।

अभिलेखीय स्थिति

1. उपरोक्त ईट भट्ठा वर्ष 2011 में स्थापित किया गया है जिस हेतु ईट भट्ठे द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.05.11 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।
2. ईट भट्ठा की उत्पादन क्षमता 15000 ईट/दिन है।
3. ईट भट्ठे द्वारा प्रथम बार संचलन की सहमति प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 29.06.2011 को आवेदन किया गया था जिसके क्रम में ईट भट्ठे को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्रयागराज द्वारा पत्र दिनांक 21.07.2011 द्वारा दिसम्बर 2015 तक की अवाधि हेतु सहमति वायु आदेश निर्गत किया गया।
4. ईट भट्ठे को कार्यालय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रधिकरण फतेहपुर के पत्र सं0 287/30–पर्या(डी0ई0आई0ए0ए0)–01/2016–17 दिनांक 09.01.2017 द्वारा 5 वर्ष की अवाधि हेतु मिट्टी खनन की पर्यावरणी स्वीकृति निर्गत की गई।
5. वर्ष 2018 में सहमति नवीनीकरण हेतु ईट भट्ठे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2018 के क्रम में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रयागराज के पत्र दिनॉक 20.08.18 द्वारा संचालन हेतु सहमति जल एवं वायु आदेश निर्गत किया गया है, जिसकी वैधता दिनॉक 31.07.2021 तक है।
6. ईट भट्ठा स्वामी/पार्टनर द्वारा वर्ष 2012–13, 2014–15, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की रायल्टी एवं विनियमन शुल्क खनिज कार्यालय में जमा नही की गई है।

ईट भटठा आफ सीजन होने के कारण संचालित नहीं पाया गया, जिससे ईट भट्ठे से जनित गैसीय उत्सर्जकों/धूल आदि से आसपास के आबादी/जनमानस पर पड़ने वाले कुप्रभाव के संबंध में आकलन नहीं किया जा सका।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

11/10/2019
(कौशल कुमार)
सहा0 पर्या0 अभि0
उ0प्र0प्रदूषण नि0बोर्ड
प्रयागराज

(जे0बी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधि0
उ0प्र0प्रदूषण नि0बोर्ड
प्रयागराज

11/10/2019
(एम0के0 पाण्डेय)
खान अधिकारी,
फतेहपुर

11/10
(प्रहलाद सिंह)
उप/जिलाधिकारी,
बिन्दकी–फतेहपुर

E/Strong/R.O./without bad

Scanned by CamScanner